

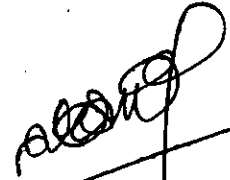
बिहार सरकार
कृषि विभाग।

1

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना हेतु कुल 8979.684 लाख (नवासी करोड़ उनासी लाख अड़सठ हजार चार सौ) रुपये के लागत पर कार्यान्वयन, राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का उद्देश्य मखाना के सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को प्रोत्साहित एवं मजबूत करना है। इस योजना के कार्यान्वयन से आवश्यकता आधारित अनुसंधान एवं नवाचार, मखाना उत्पादन, बीज उत्पादन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, एकीकृत खेती के साथ अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण, फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार की व्यवस्था, परिचयात्मक भ्रमण, निर्यात को प्रोत्साहन एवं सर्टिफिकेशन इत्यादि व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कृषक, व्यापारी एवं Farmer Producer Organisation (FPOs) के आय में वृद्धि करते हुए उचित मूल्य प्राप्त करना है।



(जर्मदेश्वर लाल)

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

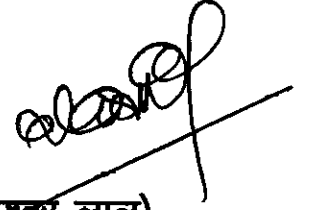
बिहार सरकार
कृषि विभाग।

2

प्रेस नोट

नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल-ऑयल पाम (NMEO-OP) केन्द्र प्रायोजित योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 210.00 लाख (दो करोड़ दस लाख) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करना है। यह योजना खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक होगी।



(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

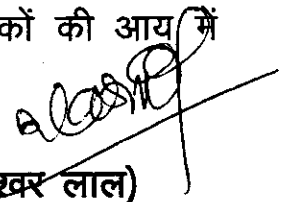
बिहार सरकार
कृषि विभाग।

3

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत “एकीकृत बागवानी विकास मिशन” के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक कुल दो वर्षों हेतु कुल 7834.22040 लाख (अठहत्तर करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार चालीस) रुपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6866.22040 लाख (अड़सठ करोड़ छियासठ लाख बाईस हजार चालीस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बागवानी फसलों (फल, फूल, सुगंधित पौधे, मशरूम, आदि) की उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से एम.आई.डी.एच. (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता, फलों के क्षेत्र विस्तार, सुगंधित पौधे, मशरूम, बागों के जीर्णोद्धार, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, मूल्यवर्धन हेतु फसलोत्तर प्रबंधन, कृषकों के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा फसल विविधिकरण अन्तर्गत बागवानी फसलों की खेती से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।


(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

4

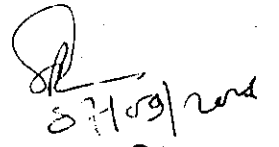
बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्यान्तर्गत ईट-भट्ठों के स्वामिस्व की बकाया राशि के संबंध में दायर नीलाम पत्र वादों में ब्याज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है एवं नीलाम पत्र देनदार उसे चुका पाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ईट-भट्टा व्यवसायियों द्वारा समय-समय पर अन्य विभागों की भाँति वन टाईम सेटलमेंट योजना (एकमुश्त समाधान योजना) लाये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।

बिहार राज्यान्तर्गत ईट सत्र 2024-2025 तक ईट-भट्ठों के बकाया राशि की वन टाईम सेटलमेंट योजना में खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारियों द्वारा ईट-भट्ठों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद संस्थित करने के लिए भेजी गयी अधियाचना में उल्लेखित कुल बकाया राशि में से ब्याज की राशि को छोड़कर शेष बची राशि जमा कर देने की स्थिति में नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा कि अब देनदार पर कोई 'लोक मांग' बकाया नहीं है। इस आलोक में नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा नीलाम पत्रवाद का निस्तारण किया जा सकेगा। वन टाईम सेटलमेंट योजना की अवधि तीन माह की होगी, जिसके संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी।

ईट सत्र 2024-2025 तक ईट-भट्ठों के बकाया राशि की वन टाईम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति से ईट भट्टा व्यवसायियों को राहत मिलेगी तथा सरकार को कम समय में काफी राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी।


(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

5

प्रेस नोट

01 जुलाई 2026 से राज्य के सभी 38 जिलों में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना अंतर्गत बिहार का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक व्यस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत 125 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है।

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार 2026 अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं जबाबदेही सुनिश्चित करना है। यह नियमावली ग्रामीण स्तर पर रोजगार से जुड़ी किसी भी समस्या के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए एक बहुस्तरीय ढांचा तैयार करती है।



अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना।

6

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में अनियमित वर्षा तथा औसत वर्षापात में कमी परिलक्षित हो रही है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, कृषि पर दबाव, नगरीकरण, औद्योगीकरण, इत्यादि कारणों से जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। राज्य अंतर्गत नदियों, बराजों, जलाशयों, इत्यादि जलस्रोतों में समय के साथ भारी गाद जमा होने के कारण उनकी जल वहन क्षमता एवं जल धारण क्षमता में क्रमिक ह्रास हो रहा है, जिससे इनकी सिंचाई क्षमता में कमी आ रही है तथा बाढ़ जोखिम एवं बाढ़ आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप, सतही जल के साथ-साथ भू-जल पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में मानव जीवन एवं विकास की निरंतरता बनाये रखने के लिये जल-सुरक्षा एवं जल-प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने "विकसित भारत-2047" के दृष्टिगत 19 मई, 2026 को "स्टेट वाटर रीफार्म फ्रेमवर्क" लागू किया है। इसके तहत राज्यों के द्वारा तकनीकी, नीतिगत एवं प्रशासनिक तैयारियों को दिसम्बर, 2026 तक पूरा किया जाना है। इसके अंतर्गत परम्परागत जलस्रोतों का पुनर्स्थापन, गाद प्रबंधन एवं समुचित रख-रखाव एक महत्वपूर्ण घटक है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य में आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, राज्य सरकार के अधीन सड़कें, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, भवन निर्माण कार्य आदि परियोजनाओं में भराई कार्य के लिये बड़े पैमाने पर मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्तमान व्यवस्था में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर मिट्टी भराई कार्य किया जाता है। इसमें काफी कठिनाई होती है और इस क्रम में उपजाऊ मृदा का भी उपयोग कर लिया जाता है।

अतएव जलस्रोतों में जमी गाद की निकासी कर जल संरचनाओं की क्षमता पुनर्स्थापित करने तथा परियोजनाओं में आवश्यक मिट्टी भराई एवं निर्माण कार्य हेतु नदियों, बराजों, जलाशयों, इत्यादि की गाद का उपयोग करने के लिये "बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026" प्रस्तावित है।


(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है, जिसमें पशुपालन प्रक्षेत्र राज्य के अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पैरावेट स्कूल के स्थापना के लिए अनुदेशक (कुल-04 पद) वेतन स्तर-06 एवं निम्नवर्गीय लिपिक (कुल-02 पद) वेतन स्तर-02 के स्थायी पद सृजन पर होने वाले कुल वार्षिक व्यय भार रुपये 45,98,832/- (पैंतालीस लाख अठानवें हजार आठ सौ बत्तीस) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव है। इसके तहत पशु चिकित्सा सेवाओं का समर्थन करने, पशु स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने और विभिन्न डिप्लोमा एवं प्रमाणन कार्यक्रमों की पेशकश कर पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। तदालोक में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पैरावेट स्कूल के स्थापना के लिए अनुदेशक (कुल-04 पद) वेतन स्तर-06 एवं निम्नवर्गीय लिपिक (कुल-02 पद) वेतन स्तर-02 के स्थायी पद सृजन पर होने वाले कुल वार्षिक व्यय भार रुपये 45,98,832/- (पैंतालीस लाख अठानवें हजार आठ सौ बत्तीस) मात्र की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गयी है।



सचिव

(८)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक/रीडर एवं व्याख्याता /सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप दंत चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

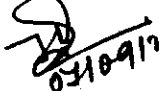


(मृणायक दास)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के कुल-05 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा, सारण एवं श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर में सहायक प्राध्यापक के रिक्त कुल-366 पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।


03/10/2026

(मृणायक दास)
सरकार के अपर सचिव।

सं0सं0-9/आ0-04-52/2023

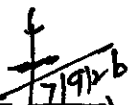
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

10

प्रेस नोट

डा0 रवि शंकर प्रसाद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगडिया के विरुद्ध दिनांक-17.11.2021 से अबतक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-525(9) दिनांक-117.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-1104(9) दिनांक-05.10.2023 द्वारा पत्र प्रेषित कर एवं पत्रांक-1105(9) दिनांक-05.10.2023 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति कर द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर प्राप्त है, जिसमें माता-पिता का हवाला देते हुए DMCH, दरभंगा में स्थानांतरण करने का अनुरोध किया गया। अतएव डा0 प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर को अस्वीकृत करते हुए डा0 प्रसाद को सेवाच्युति करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2783 दिनांक-26.09.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

डा0 रवि शंकर प्रसाद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगडिया को दिनांक-17.11.2021 से अबतक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवाच्युति करने का निर्णय किया जाना है।


(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(शैलेश कुमार)
विशेष सचिव

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

//

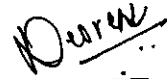
प्रेस नोट

भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना Modified UDAN Scheme के अंतर्गत राज्य में हवाई संपर्क के विस्तार हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस समझौता ज्ञापन के फलस्वरूप नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हो सकेंगी। इससे राज्य द्वारा प्रस्तावित नए हवाई मार्गों को उड़ान योजना के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा कम यात्री माँग वाले मार्गों को भी प्रारंभिक अवधि में संचालित रखने में सहायता मिलेगी।

Modified UDAN Scheme के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों का विकास चैलेंज मोड (Challenge Mode) के तहत किया जाना है। इसके साथ ही राज्य के आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में हेलीपोर्ट का विकास भी चैलेंज मोड के अंतर्गत किया जाना है, जिससे इन जिलों को हवाई संपर्क के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं एवं पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष लाभ प्राप्त होगा।

इन पहलों से राज्य के छोटे शहरों को हवाई संपर्क उपलब्ध होगा तथा पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

प्रेस नोट

127

सिविल विमानन विभाग, बिहार अन्तर्गत सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु **“बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026”** के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में राज्य के विशिष्ट/अतिविशिष्ट माहानुभावों के वायु गमनागमन, राज्य अंतर्गत हवाई अड्डों का विकास, आपदा की स्थिति में वायु-मार्ग से सहायता पहुंचाने एवं बिहार उड्डयन संस्थान के माध्यम से पायलटों को प्रशिक्षण देने, आदि कार्यों के संचालन/संपादन हेतु नये सिविल विमानन विभाग का गठन किया गया है। विभाग में राजकीय विमान एवं हेलिकाप्टर के उड़ान एवं संधारण हेतु पायलट एवं इंजीनियर आदि जैसे तकनीकी एवं अन्य गैर तकनीकी पद सृजित हैं।

विभाग के सुगमतापूर्वक संचालन एवं सुदृढीकरण हेतु विभाग में सृजित पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित किये जाने निमित्त नियमावली का गठन किया गया है। इस नियमावली में विभाग में सृजित पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया, संवर्ग/उपसंवर्ग तथा पद की प्रकृति, योग्यता, उम्र-सीमा आदि का निर्धारण किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में **“बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026”** का गठन किया गया है।

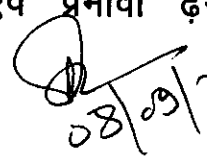

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

13

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार जिला खनिज फाउंडेशन (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू किये जाने से जिलों में खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन, खनन के दौरान एवं उसके बाद पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने, प्रभावित लोगों की दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने आदि का कार्य सुचारु एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकेगा।


08/09/2026

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
प्रेस विज्ञापित

(14)

गया जिलान्तर्गत अवस्थित विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास हेतु प्राक्कलित राशि 25,20,00,00,000/- (दो हजार पाँच सौ बीस करोड़) रुपये एवं सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 9,96,05,00,000/- (नौ सौ छियानवे करोड़ पाँच लाख) रुपये कुल राशि 35,16,05,00,000/- (तीन हजार पाँच सौ सोलह करोड़ पाँच लाख) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

गया जिलान्तर्गत विष्णुपद मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पितृपक्ष मेला के दौरान एवं पूरे वर्ष लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी श्रद्धालुओं/पर्यटकों का पिण्डदान हेतु विष्णुपद मंदिर आगमन होता है। इस योजना को पूर्ण होने से गया की हजारों वर्षों पुरानी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं, विशेषकर पिंडदान, तर्पण एवं पितृपक्ष जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों को नई ऊर्जा एवं मजबूती मिलेगी। इससे गया की आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन की पहचान और अधिक सुदृढ़ होने के साथ क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

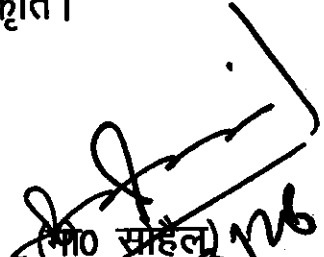
विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास हेतु प्राक्कलन राशि 25,20,00,00,000/- (दो हजार पाँच सौ बीस करोड़) रुपये की योजना के अन्तर्गत विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र में मंदिर परिसर का विकास, मल्टीलेवल कार पार्किंग- 1 एवं 2 का विकास, एलीवेटेड पथ, मनसरवा मानपुर ब्रिज, रैम्प का निर्माण, घाट का विकास, डोरमेट्री एवं कैन्टीन का निर्माण, पैडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण, स्टैचू का निर्माण, पी.एफ.सी. सीता कुण्ड का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, आंतरिक सुविधाओं का विकास, निर्माण-पूर्व गतिविधियाँ एवं सहायक कार्य एवं अन्य आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पथ विकास निगम लि० द्वारा किया जायेगा।

सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 9,96,05,00,000/- (नौ सौ छियानवे करोड़ पाँच लाख) रुपये की योजना के अन्तर्गत इन्द्रपुरी बैराज से लगभग 23 कि०मी० अपस्ट्रीम में एक इनटेक वेल का निर्माण प्रस्तावित है। इनटेक वेल के माध्यम से सोन नद से आवश्यक मात्रा में जल का उद्बह कर 11 कि०मी० लंबी पाइप लाइन के माध्यम से उत्तर कोयल मुख्य नहर के लगभग 32.77 कि०मी० बिन्दु पर जल को प्रवाहित किया जायेगा। तत्पश्चात सोन नद का पानी उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर के माध्यम से स्वतः प्रवाहित होते हुए

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस-नोट

“ बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पदों का अगले आदेश तक के लिए सृजन की स्वीकृति। ”


मो० साहेब
सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)।

(16)

प्रेस नोट

राज्य की काराओं में खाली पड़ी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु कारा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) परिचालन नियमावली-2026 का गठन की स्वीकृति तथा केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ एवं शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर की खाली पड़ी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) का अधिष्ठापन एवं संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा कराये जाने तथा केन्द्रीय कारा, बक्सर एवं शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर की खाली पड़ी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) का अधिष्ठापन एवं संचालन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा कराये जाने हेतु नामांकन के आधार पर उक्त पेट्रोलियम कंपनियों के चयन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।



प्रधान सचिव
गृह विभाग।

प्रेस नोट

बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कुल रू० 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) मात्र की राशि प्राप्त की गई है। प्राप्त राशि को राज्य योजना अन्तर्गत बाढ़ प्रक्षेत्र में प्रगति यात्रा से संबंधित कार्य, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य तथा सिंचाई प्रक्षेत्र में प्रगति यात्रा, जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यय किया जाएगा।


(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव